

परियोजना का नाम :-जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सहस्त्रधारा-नालीवाला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.22 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 एवं फाईल नं०-5-3/2011-FC(Vol-I), दिनांक-06.01.2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. ईको-क्लास श्रेणी- | V |
| 2. हरियाली का घनत्व.- | 0.5 (MDF) |
| 3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे०- | 12,92,850.00 |
| 4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल- | 4.22 है० |
| 5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि- | 4.22 है० X 12,92,850.00= 54,55,827.00 |
- (चवन लाख पचपन हजार आठ सौ सत्ताईस रू० मात्र)


प्रभागीय ह० अधिकारी
प्रमसूय वन मंत्रालय
मसूरी

कार्य का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा-नालीवाला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

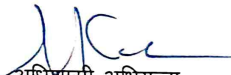
(लम्बाई-5.500 कि०मी०)

एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०
देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०
देहरादून


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०
देहरादून